

// कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ, जिला-झाबुआ (म.प्र.) //

क्रमांक.01 / सा.अनु. / 2026

झाबुआ, दिनांक:-05 / 01 / 2026

--:कार्य विभाजन पत्रक:--

सन्-2026

सिविल कोर्ट्स अधिनियम-1958 की धारा-15(1) एवं धारा-21 (4) तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-194,381 (2) और धारा-400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, **विधि सक्सेना**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिष्ठित (सुपरसीड) करते हुए, इस न्यायिक जिला झाबुआ में पदस्थ न्यायाधीशों के बीच सिविल एवं दांडिक कार्यों का वितरण/विभाजन निम्नानुसार करती हूँ:-

यह आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2026 से प्रभावशील होकर आगामी कार्य विभाजन आदेश पारित होने तक प्रभावशील रहेगा। इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित है या प्रस्तुत हुआ है/हुए हों, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	कार्य क्षेत्र	कार्य एवं प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ	सत्र खण्ड झाबुआ (म.प्र.)	1. सत्र प्रकरण। (थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 2. आपराधिक अपीलें। (थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 3. आपराधिक पुनरीक्षण। (थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 4. विविध आपराधिक प्रकरण। (थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 5. धारा-438, 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र जो आरक्षी केन्द्र झाबुआ, रानापुर, कालीदेवी, कल्याणपुरा, जी0आर0पी0 थाना मेघनगर, मेघनगर, थांदला, काकनवानी, का संपूर्ण थाना क्षेत्र। (आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया को छोड़कर) 6. औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 से उद्भूत प्रकरण। 8. विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 से उद्भूत प्रकरण। 9. ग्राम न्यायालय झाबुआ एवं थांदला द्वारा पारित

		निर्णय एवं आदेश से उद्भूत अपीलें। 10. म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना फा.क. 17(ई)38/2010/21-ब(एक) दिनांक 07.01.2011 के अनुसार बाल अधिकार आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराध से संबंधित प्रकरण। 11. अन्य ऐसे प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो व जिनका समावेश उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में नहीं आया हो और किसी अपर सत्र न्यायाधीश, को इस आदेश के द्वारा आवंटित नहीं किये गये हों।
	सिविल न्यायिक जिला-झाबुआ में तहसील, झाबुआ, रानापुर, मेघनगर, थांदला,	12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 13. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (जिनमें दुर्घटना में मृत्यु/उपहति हुई हो एवं उनसे जुड़े हुए (Connected) प्रकरण) थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर,। (उक्त कंडिका-13 का क्षेत्राधिकार रहने की अवधि माह सितम्बर-2026 से दिसम्बर-2026 तक) 14. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अंतर्गत 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। (तहसील पेटलावद एवं रायपुरिया को छोड़कर) 15. Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा-09 के अंतर्गत 75,00,001/- रुपये से अधिक के सभी प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। (कामर्शियल कोर्ट से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 16. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे क्लेम प्रकरण जिनमें दुर्घटना जिला झाबुआ से बाहर घटित हुई हो, परंतु दावेदार जिला झाबुआ के निवासी हो, (थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। 17. उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। 18. मुकदमा पूर्व (प्रिलिटिगेशन) से उद्भूत एवं निराकृत प्रकरणों के निष्पादन आवेदन पत्र। 19. लोक परिसर बेदखलीय अधिनियम के अधीन पारित आदेशों की अपील। 20. सहकारी संस्था के 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 21. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-18, 30 एवं 31 के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस। 22. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 झाबुआ एवं थांदला के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं आज्ञाप्ति से उद्भूत

			नियमित एवं विविध अपील। 23. म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 17(ई)17/2016/21-ब(एक) 1101/2017 के अनुसार कॉमर्शियल कोर्ट से संबंधित प्रकरण। 24. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 झाबुआ एवं थांदला के द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं आज्ञाप्ति से उद्भूत नियमित एवं विविध अपीलें। 25. अन्य ऐसे समस्त प्रकरण जो जिला न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य हो व जिनका समावेश उपरोक्त विवरण में नहीं आया हो और किसी अपर जिला न्यायाधीश, को इस आदेश के द्वारा अधिकृत नहीं किये गये हों।
2.	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, झाबुआ (म.प्र.)	सत्र खण्ड, झाबुआ सिविल न्यायिक जिला-झाबुआ में तह. झाबुआ, रानापुर, मेघनगर, थांदला,	1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के अंतर्गत प्रकरण। 2. स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 3. उक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र। 4. न्यायालय में लंबित प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण। 5. म0प्र0 शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा. क्रमांक-3948/21-ब (एक)/2021 द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 से संबंधित समस्त प्रकरण। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण व जमानत आवेदन पत्र। 7. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (जिनमें दुर्घटना में मृत्यु/उपहति हुई हो एवं उनसे जुड़े हुए (Connected) प्रकरण) थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर,। (उक्त कंडिका-07 का क्षेत्राधिकार रहने की अवधि माह मई-2026 से अगस्त-2026 तक) 8. Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा-09 के अंतर्गत 50,00,001 से 75,00,000/- रुपये तक के सभी प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। (कामर्शियल कोर्ट से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 9. प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
3.	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म.प्र.)	सत्र खण्ड, झाबुआ	1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष आपराधिक प्रकरण। 2. उपरोक्त अधिनियमों से संबंधित धारा-438, 439 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र। 3. उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक प्रकरण। 4. म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 के अंतर्गत प्रकरण। (आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया को छोड़कर)

			5. म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-बी/3093 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-153 की उपधारा (2) के अंतर्गत सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला का समस्त विद्युत क्षेत्र। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण व जमानत आवेदन पत्र।
		सिविल न्यायिक जिला-झाबुआ में तहसील, झाबुआ, राणापुर मेघनगर, थांदला	7. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (जिनमें दुर्घटना में मृत्यु/उपहति हुई हो एवं उनसे जुड़े हुए (Connected) प्रकरण) थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर,। (उक्त कंडिका-07 का क्षेत्राधिकार रहने की अवधि माह जनवरी-2026 से अप्रैल-2026 तक) 8. Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा-09 के अंतर्गत 25,00,001 से 50,00,000/- रुपये तक के सभी प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। (कामर्शियल कोर्ट से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 9. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
4.	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म.प्र.)		1. अधिसूचना क्रमांक-सी/2679 जबलपुर दिनांक 05.03.2024 के अंतर्गत POCSO Act. 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) एवं उससे संबंधित बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या से उत्पन्न सभी प्रकरण, विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। (आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया को छोड़कर) 2. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण व जमानत आवेदन पत्र। 3. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण व जमानत आवेदन पत्र।
			4. ए तथा बी श्रेणी के साम्प्रतिक वाद जिनका मूल्य 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. संबंधित विविध व्यवहार वाद प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। 6. प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के प्रकरण जिनका मूल्य 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक हो। (तहसील पेटलावद एवं रायपुरिया को छोड़कर) 7. ऐसे लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 501/- (पांच सौ एक रुपये) से लेकर 1000/- (एक हजार रुपये) तक हों। 8. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (जिनमें दुर्घटना में मृत्यु/उपहति हुई

			हो एवं उनसे जुड़े हुए (Connected) प्रकरण) थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार को छोड़कर,। 9. Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा-09 के अंतर्गत 0 से 25,00,000/- रुपये तक के सभी प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। (कामर्शियल कोर्ट से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 10. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
5.	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश पेटलावद	सत्र खण्ड, झाबुआ की तहसील पेटलावद, रायपुरिया	1. थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरण। 2. POCSO Act. (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) एवं उससे संबंधित बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या से उत्पन्न सभी प्रकरण, विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 3. म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 4. जमानत आवेदन पत्र। 5. आपराधिक अपील, पुनरीक्षण याचिकाएं। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
		सिविल न्यायिक, जिला-झाबुआ की तहसील, पेटलावद रायपुरिया	7. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-18, 30 एवं 31 के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस। 8. साम्प्रतिक वाद ए एवं बी जिनका मूल्य 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक हों। 9. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 पेटलावद के द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र आदेश एवं आज्ञाप्ति से उद्भूत नियमित एवं विविध अपील। 10. लोक परिसर बेदखलीय अधिनियम के अधीन पारित आदेशों की अपील। 11. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-27 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएं। 12. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकरण। 13. गार्जियन एंड वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 14. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1981 की धारा-20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं। 15. हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां। 16. अन्य समस्त स्पेशल एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 17. Arbitration and Conciliation Act, 1996 के

			अंतर्गत 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 18. Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा-09 के अंतर्गत 0 से 75,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) तक के प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण। (कामर्शियल कोर्ट से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) 19. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरण जो आरक्षी केन्द्र पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार में हुई दुर्घटना से संबंधित। 20. मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे क्लेम प्रकरण जिनमें दुर्घटना जिला झाबुआ से बाहर घटित हुई हो, परंतु दावेदार थाना पेटलावद एवं रायपुरिया के क्षेत्राधिकार के निवासी हों। 21. सहकारी संस्था के 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 22. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण। 23. प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के प्रकरण जिनका मूल्य 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) से अधिक हों। 24. अन्य ऐसे प्रकरण जो अपर सत्र न्यायालय (तहसील पेटलावद एवं रायपुरिया से संबंधित) द्वारा सुनवाई योग्य हो व जिनका समावेश उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में नहीं आया हों।
6.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड झाबुआ	तहसील— झाबुआ, रानापुर एवं रामा का संपूर्ण क्षेत्र	1. मूल साम्प्रतिक वाद रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य हो।) 2. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के खण्ड 10 के अन्तर्गत प्रकरण। 3. प्रांतीय दिवालीया अधिनियम के प्रकरण जिनका मूल्य रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक हों। 4. सहकारी संस्था के रुपये 1/- (एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रकरण। 5. अन्य जिलों/राज्यों से प्राप्त डिक्री का निष्पादन। (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की सुनवाई योग्य) 6. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत के प्रवर्तन प्रकरण का निराकरण। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण।
7.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश,	तहसील	1. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 172

	वरिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ	झाबुआ, रानापुर,	तथा 139 के अंतर्गत अपीलें । 2. दोनों तहसील क्षेत्रों से उत्पन्न रुपये 200 से अधिक 500 रुपये तक के लघुवाद प्रकरण । 3. Arbitration and Conciliation Act, 1966 के अंतर्गत 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 4. उपरोक्त मूलवाद तथा लघुवाद प्रकरणों से संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण । 5. प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वारा समय-समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण ।
8.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय झाबुआ	तहसील—रानापुर, झाबुआ,	1. तहसील झाबुआ के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के क्षेत्र से उद्भूत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के समस्त व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरण। (कुटुम्ब न्यायालय के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित व्यवहार वाद एवं अन्य विविध प्रकरण ।
9.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ	तहसील—झाबुआ, रानापुर एवं रामा का संपूर्ण क्षेत्र	1. मूल साम्प्रतिक वाद रुपये 1/- (एक रुपये) से लेकर 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक (उन वादों को छोड़कर लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सनुवाई योग्य हो।) 2. अन्य जिलों/राज्यों से प्राप्त डिक्री का निष्पादन। (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की सुनवाई योग्य) 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद एवं अन्य विविध प्रकरण ।
10.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला	तहसील थांदला एवं मेघनगर	1. मूल साम्प्रतिक वाद तहसील थांदला एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रुपये) से अधिक एवं 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रकरण (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य हो।) 2. तहसील थांदला एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार के रुपये 500/- तक के लघुवाद प्रकरण । 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के खण्ड 10 के अन्तर्गत प्रकरण । 4. तहसील थांदला एवं मेघनगर क्षेत्र के सहकारी संस्था के अन्तर्गत रुपये 1/- (एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रकरण । 5. प्रांतीय दिवालीया अधिनियम के प्रकरण जिसमें कर्ज रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक । 6. उपरोक्त मूलवाद तथा लघुवाद प्रकरणों से संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण । 7. Arbitration and Conciliation Act, 1966 के अंतर्गत 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।

			8. तहसील थांदला एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार से संबंधित म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम की धारा-172 तथा 139 के अंतर्गत अपीलें। 9. तहसील थांदला के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के क्षेत्र से उद्भूत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के समस्त व्यवहार प्रकरण। 10. सहकारी संस्था के अन्तर्गत रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) रुपये तक के प्रकरण। 11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के खण्ड 10 के अन्तर्गत प्रकरण। 12. प्रांतीय दिवालीया अधिनियम के प्रकरण जिसमें कर्ज रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक। 13. अन्य जिलों/राज्यों से प्राप्त डिक्री का निष्पादन। (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड की सुनवाई योग्य) 14. उपरोक्त मूलवाद तथा लघुवाद प्रकरणों से संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण। 15. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।
11.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड थांदला	तहसील थांदला एवं मेघनगर	1. मूल साम्प्रतिक वाद तहसील थांदला एवं मेघनगर के क्षेत्राधिकार के रुपये 1/- (एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक (उन वादों को छोड़कर लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य हो।) 2. न्यायालय द्वारा निराकृत व न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण। 3. अन्य जिलों/राज्यों से प्राप्त डिक्री का निष्पादन। (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की सुनवाई योग्य) 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित व्यवहार वाद एवं अन्य विविध प्रकरण।
12.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	तहसील पेटलावद का संपूर्ण न्यायिक क्षेत्र	1. केवल पेटलावद न्यायिक क्षेत्र के मूल साम्प्रतिक वाद रुपये 1/- (एक रुपये) से लेकर 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रकरण (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य हो।) 2. तहसील पेटलावद के क्षेत्राधिकार के रुपये 500/- तक के लघुवाद प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के खण्ड 10 के अन्तर्गत प्रकरण। 4. तहसील पेटलावद क्षेत्र के सहकारी संस्था के अन्तर्गत रुपये 1/- (एक रुपये) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रकरण। 5. प्रांतीय दिवालीया अधिनियम के प्रकरण जिसमें कर्ज रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये)

			तक । 6. तहसील पेटलावद के क्षेत्राधिकार से संबंधित म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम की धारा-172 तथा 139 के अंतर्गत अपीलें । 7. Arbitration and Conciliation Act, 1966 के अंतर्गत 1,00,00,000 /- (एक करोड़ रुपये) तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 8. उपरोक्त मूलवाद तथा लघुवाद प्रकरणों से संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण । 9. न्यायालय द्वारा निराकृत व न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण । 10. अन्य जिलों/राज्यों से प्राप्त डिक्री का निष्पादन । (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खंड की सुनवाई योग्य) 11. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण ।
13.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड पेटलावद	तहसील रायपुरिया का संपूर्ण न्यायिक क्षेत्र	1. केवल रायपुरिया न्यायिक क्षेत्र के मूल साम्प्रतिक वाद रुपये 1/- (एक रुपये) से लेकर 1,00,00,000 /- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रकरण (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य हो।) 2. तहसील पेटलावद क्षेत्राधिकार के रुपये 500 /- तक के लघुवाद प्रकरण । 3. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा-172 तथा 139 के अंतर्गत अपीलें । 4. न्यायालय द्वारा निराकृत व न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित विविध सिविल प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण । 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण ।

अर्जेन्ट आपराधिक एवं व्यवहार कार्य के प्रभार की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:-

मुख्यालय-झाबुआ

क्र.	न्यायिक अधिकारी का पदनाम (अवकाश काल/अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी)	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ	विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश झाबुआ	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश झाबुआ

खंड झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ	न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ	खंड थांदला
---	--------------------------------------	------------

1. सत्र न्यायालय द्वारा अंतरित/अनुपस्थिति में जमानत आवेदन पत्र जिस न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया पश्चातवर्ती उसी अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किया जावेगा। जिसके द्वारा पूर्ववर्ती आवेदन पत्र का निराकरण किया गया। ऐसे प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।

—::मुख्यालय थांदला::—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का पदनाम (अवकाश काल/अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी)	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
13.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड झाबुआ
14.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड थांदला	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद
15.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय थांदला	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद

—::मुख्यालय पेटलावद::—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का पदनाम (अवकाश काल/अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी)	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
16.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड थांदला
17.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड थांदला

“प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में, मुख्यालय/तहसील पर पदस्थ/कार्यरत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक सिविल एवं आपराधिक कार्य संपादित करेंगे।”

—:अन्य कार्य की व्यवस्था:—

1. फास्ट ट्रेक झाबुआ द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त पूरक अनुषांगिक तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पालन का कार्य जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ के द्वारा संपादित किया जावेगा।
2. “माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार एवं अधिसूचना अंतर्गत जिला मुख्यालय झाबुआ एवं तहसील पेटलावद में कार्यरत विशेष न्यायालय कमशः अंतर्गत (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 (SC/ST POA ACT.); (2) विद्युत अधिनियम-2003 (ELECTRICITY ACT); (3) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (POCSO ACT+OAW); (4) स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम-1985 (N.D.P.S. ACT.); (5) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (P.C. ACT.) तथा पेटलावद तहसील न्यायालय में कार्यरत विशेष न्यायालय अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (POCSO ACT.+OAW) से पूर्व में जिला मुख्यालय झाबुआ तथा तहसील पेटलावद में उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत कार्यरत रहे, न्यायालयों द्वारा पूर्व में निराकृत दांडिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त पूरक अनुषांगिक तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश का कार्य जिला मुख्यालय झाबुआ पर विशेष न्यायालयों तथा तहसील न्यायालय पेटलावद में कार्यरत विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (POCSO ACT.+OAW) द्वारा संपादित किया जावेगा।”
3. इसी प्रकार भविष्य में, जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय/तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त पूरक अनुषांगिक तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पालन का कार्य जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ के द्वारा संपादित किया जावेगा।
4. इसी प्रकार भविष्य में, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश थांदला एवं अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड थांदला द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन एवं अन्य समस्त कार्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड थांदला द्वारा संपादित किया जावेगा।
5. इसी प्रकार भविष्य में, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड पेटलावद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पेटलावद एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन एवं अन्य समस्त कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला के द्वारा संपादित किया जावेगा।
6. इसी प्रकार भविष्य में “प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ” द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त पूरक अनुषांगिक तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पालन का कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ द्वारा संपादित किया जावेगा।”
7. इसी प्रकार भविष्य में, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश झाबुआ, प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड झाबुआ एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड झाबुआ द्वारा पूर्व में

निराकृत व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त पूरक अनुषांगिक तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पालन का कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ द्वारा संपादित किया जावेगा।

8. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पेटलावद द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त पूरक अनुषांगिक तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पालन का कार्य द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद द्वारा संपादित किया जावेगा।

9. अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पेटलावद द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार एवं दांडिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त पूरक अनुषांगिक तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के पालन का कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद द्वारा संपादित किया जावेगा।

10. इसी प्रकार भविष्य में, द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पेटलावद के न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पेटलावद द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन एवं अन्य समस्त कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद द्वारा संपादित किया जावेगा।

—::सामान्य::—

1. किसी भी न्यायालय प्रकरण के पंजीयन अथवा निराकरण के समय संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा प्रकरण से संबंधित अधिरोपित अर्थदंड अथवा अन्य किसी प्रकृति की राशि, जिसे पीठासीन अधिकारी के आदेश से न्यायालय के समक्ष निक्षेपित किया जाता है, उपरांत उसी न्यायालय में उक्त राशि से संबंधित रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख संधारित किए जाने का प्रावधान है। भविष्य में न्यायालयीन आदेश के अनुसरण में उपरोक्त अधिरोपित अर्थदंड की राशि अथवा अन्य प्रकृति की राशि के वापिस किये जाने के समय आवश्यकतानुसार न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त संधारित रजिस्टर अथवा अन्य अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् ही ऐसी राशि की वापसी का कार्य सुनिश्चित किया जाना संभव होता है। प्रक्रियात्मक कार्यवाही में लगने वाले समय को सुनियोजित करने के आशय से यह उचित प्रतीत होता है कि राशि वापसी का आदेश देने वाला न्यायालय/अधिकारी स्वतः ही इस आदेश के माध्यम से प्रदत्त अनुज्ञा के आधार से सीधे ही संबंधित न्यायालय/अधिकारी को पत्राचार कर पूर्वोक्त रजिस्टर या अन्य अभिलेख अवलोकन हेतु आहूत कर सकेंगे। यह सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे पत्राचार की एक प्रति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ को अविलंब प्रेषित की जावें। विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज. जा. एवं अन्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवकाश पर जाते समय अवकाश आवेदन की प्रति इंचार्ज न्यायाधीश को प्रेषित करेंगे।

2. ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश दोनों स्थितियों में विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अपने-अपने आवेदन कार्यालय को आपस में सामजस्य बैठाकर इस प्रकार प्रेषित करें, कि कम से कम कोई एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मुख्यालय पर उपस्थित रहें।

3. उपरोक्त जारी कार्य विभाजन के संबंध में कोई भी भ्रांति होने पर सांख्यिकी लिपिक से संपर्क किया जावें। सांख्यिकी लिपिक आवश्यक होने पर मेरे ज्ञान में लाए, जिससे उसका उचित निराकरण किया जावेगा।

(विधि सक्सेना)

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म0प्र0)**

//कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ, जिला-झाबुआ (म.प्र.)//

पृष्ठांकन क्रमांक 02/सा.अनु./2026

झाबुआ दिनांक.05/01/2026

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर।
- 2- श्रीमान् प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इन्दौर।
की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ।
- 4- विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय झाबुआ।
- 5- जिला एवं प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झाबुआ।
- 6- जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेटलावद।
- 7- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड झाबुआ/प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ/ग्राम न्यायाधिकारी झाबुआ।
- 8- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड थांदला, एवं ग्राम न्यायाधिकारी थांदला।
- 9- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड थांदला। (श्री चौधरी)
- 10- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद (श्रीमती सौलंकी)।
- 11- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पेटलावद (श्री भगोरा)।
- 12- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड झाबुआ के न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश झाबुआ (श्री मीणा)
- 13- जिला दण्डाधिकारी, झाबुआ, पुलिस अधीक्षक झाबुआ, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, झाबुआ, थांदला, पेटलावद।
- 14- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ झाबुआ, थांदला, पेटलावद।
- 15- उपसंचालक, अभियोजन अधिकारी, झाबुआ।
- 16- सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी झाबुआ।
- 17- प्रशासनिक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय झाबुआ।
- 18- प्रस्तुतकार/निज सहायक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विधि सक्सेना)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाबुआ (म0प्र0)